दिनांक–20.01.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पटना प्रक्षेत्र, पटना, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना एवं कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, बिहारशरीफ एवं हिलसा के साथ PHED & PRD से हस्तांतरित योजनाओं के एकरारनामा एवं मरम्मति दल एवं स्टोर/भंडारण आदि हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. विद्युत विपत्रों के भुगतान की स्थितिः–

❖ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना अंतर्गत प्रमंडलों में विद्युत विपत्रों के बकाये राशि की भुगतान की समीक्षा के क्रम में दिनांक–01.09.2025 के आधार पर की गई दावा का संयुक्त सत्यापनोपरांत HGN एवं गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों का संवेदकों/एजेंसियों के माध्यम से भुगतेय कुल लंबित बकाया राशि ₹4212.85 लाख है, जिसके विरूद्ध दिनांक–19.01.2026 तक मात्र ₹1009.07 लाख का भुगतान प्रतिवेदित किया गया है। कम भुगतान के संबंध में पृच्छा की गई तो क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर खेद व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्रों की बकाया राशि का अविलंब शत–प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैठक में यह निदेश दिया गया कि प्रमंडलों द्वारा जो अधियाचना की जाती है एवं विभाग द्वारा जो अधियाचित राशि दी जाती है उसके अनुसार विद्युत मद में भुगतान कराना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा पाया जाता है कि विभाग द्वारा प्रमंडलों को दी जा रही अधियाचित राशि के अनुपात में विद्युत मद में भुगतान नहीं कराया गया है तो संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि संवेदकों द्वारा विद्युत विपत्रों की राशि का विलंब से एवं अत्यंत ही कम मात्रा में भुगतान करने के कारण वह राशि DPS में समायोजित हो जाता है। विदित हो कि ससमय भुगतान नहीं होने के कारण ही विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विलंब भुगतान अधिभार (DPS) लिया जाता है। फलतः संवेदकों द्वारा भुगतान की गई राशि का जो अंश DPS में समायोजित हो जाता है, उस राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि प्रमंडलों द्वारा संवेदकों को विलंब भुगतान अधिभार मद में समयोजित राशि का प्रतिपूर्ति किया जाता है तो उस राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों से किया जाएगा। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्रों के बकाया राशि के भुगतान हेतु अधियाचना में ऊर्जा मद एवं विलंब भुगतान अधिभार मद की राशि स्पष्ट रूप से अलग–अलग अंकित किया जाय। इसका अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाएगा।

अनुपालनः– संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

2. MIS Mapping/Entry (Store/Material/Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT etc.):-

❖ समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा MIS पर Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT की प्रविष्टियों में कई तरह की त्रूटियां हैं साथ ही जो प्रविष्टि की गयी है। वह भी आंशिक रूप से। समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि संवेदक/मरम्मति दल/सुपरवाइजर के नाम एवं उनके मोबाइल नंबर काफी अधिक संख्या में गलत अपलोड किया गया है, जिसके कारण ससमय शिकायतों का निष्पादन (नियमानुकूल कार्रवाई) नहीं हो पा रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल स्तर से MIS पर की गई प्रविष्टियों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। इस मामले को प्राथमिकता स्तर पर लेते हुए सभी प्रमंडलों को सख्त निदेश दिया गया कि अगले तीन दिनों के अंदर MIS पर त्रूटिरहित PHED/PRD ward Mapping के अतिरिक्त अन्य सभी यथा संवेदक/मरम्मति दल एवं सुपरवाइजर का सही नाम एवं मोबाईल नंबर के साथ मैपिंग करना सुनिश्चित करेंगें। मुख्य अभियंता पटना प्रक्षेत्र, पटना, अधीक्षण अभियंता पटना अंचल, पटना को मैंपिंग के कार्यों का अनुश्रवण कर समीक्षा करने हेतु निदेशित किया गया।

Not Mapping Summary Report as on 20.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Not mapped Ward with Repair Team (PHED)	mapped Ward with Repair Team (PHED)	Not mapped Ward with Repair Team (PRD)	mapped Ward with Repair Team (PRD)
1.	Biharsharif	828	88	583	563
2.	Hilsa	334	38	289	734
3.	Patna East	449	219	60	923
	Patna West	174	419	243	1988

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में यह भी निदेशित किया गया कि PHED & PRD संवेदकों द्वारा स्थापित स्टोर/भंडार का Geo Tagging करते हुए सभी सामग्रियों की अवयववार Inventory की MIS पर प्रविष्ट करेंगे और पंजी का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि क्षेत्रातंर्गत संचालित योजनाओं के संवेदक अपने स्थापित भंडार गृह में निर्माण/मरम्मति एवं संपोषण कार्य में प्रयुक्त हो रहे सामग्रियों का एकरारनामा के 10 प्रतिशत अनुपात में संग्रह सुनिश्चित करेंगे एवं स्थल पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जनहित के लिए प्रदर्शित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

3. CGRC निष्पादनः—

❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना अंतर्गत 80 पंचायतों में दिनांक—15.08.2025 से दिनांक—20.01.2026 तक शून्य शिकायत प्राप्त हुआ है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से पृच्छा के दौरान बताया गया कि उक्त पंचायतों में दूरभाष/आवेदन के माध्यम से शिकायत प्राप्त होती है जिसका निराकरण कर दिया गया है। दूरभाष/आवेदन या किसी और माध्यम से प्राप्त शिकायतों को

CGRC Portal पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि मुख्यालय स्तर से इसका अनुश्रवण किया जा सके। इस संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त पंचायतों का योजनावार क्रियाशीलता अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत निष्पादन में विभागीय मानक के अनुरूप निर्धारित समय—सीमा से अतिरिक्त समय लिया जा रहा है, जिस पर खेद व्यक्त किया गया। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि ऐसे संवेदकों को चिह्नित करते हुए उनके विरूद्ध एकरारनामा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।

अनुपालनः—सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं में अत्याधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर कार्यपालक अभियंता विशेष ध्यान देते हुए मानव बल का आकलन/कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण करते हुए शिकायतों का निराकरण ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संबंधित संवेदक की कार्य पद्धति को प्रतिदिन अनुश्रवण करें तथा सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रखण्ड में संवेदक द्वारा कम से कम 20 टीम कार्यरत हो तथा प्रतिदिन सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से संवेदकवार क्षेत्र में लगाए गए टीम का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर कर EE कंट्रोल रूम के Whatsapp Group पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि वैसे संवेदक जिनके कार्य क्षेत्र में अधिक—से—अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है, वहाँ के संबंधित कार्यपालक अभियंता कृत कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित सभी कार्यपालक अभियंत।

- ❖ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से निम्नवत् रिपोर्टों की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।
  - **I.** Panchayat with No Complain Report (CGRC)
  - **II.** Contractor wise Average solving time report
  - **III.** Contractor wise Average Pending days report
  - **IV.** Maximum count wise report
  - **V.** Contractor wise most pending report

अनुपालनः— संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता /संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि CGRC अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि CGRC पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन SOP के तहत की जाय।

अनुपालनः– संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

4. <u>Detail Report of PRD Expenditure (Format As Attached):-</u>

- सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि PRD O&M में व्यय की गयी राशि का अवयववार विहित प्रपत्र में प्रविष्टि कर दो दिनों के अंदर मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इसका अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता निश्चित रूप से करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

5. <u>अन्यान्यः–</u>

- सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि "हर घर नल का जल" योजना के छूटे हुए टोलों में भूमि उपलब्धता की अद्यतन स्थिति विभागीय MIS Portal पर प्रविष्ट करेंगे तथा भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में जिला स्तरीय पदाधिकारी से समन्वय हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संपर्क करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा के संवेदक संजय कुमार प्रियदर्शी के द्वारा बताया गया कि 07 योजनाओं में विद्युत विपत्र में बकाये राशि का भुगतान किसी दूसरे संवेदक के द्वारा किया जाना था परन्तु मेरे नाम से अंकित किया गया है इस कारण हमें डिवार कर दिया गया है जिसे सुधार करते हुए हमें डिवार से मुक्त किया जाय। इसके अतिरिक्त बिहारशरीफ प्रमंडल अंतर्गत भी कतिपय संवेदकों द्वारा विचलन के अंतर्गत कार्य किया गया है जिसका भुगतान लंबित रहने की स्थिति में योजनाओं को क्रियाशील रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी–06 एवं 12।

- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व/पश्चिम के संवेदक वेंकटेश रमण एवं अन्य संवेदकों द्वारा भी भुगतान लंबित रहने कि शिकायत की गई।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी–06 एवं 12।

- PWS/SVS की क्रियाशीलता/विद्युत विपत्र का भुगतान आदि की विशेष निगरानी का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता को दी जाती है। प्रत्येक माह के पांच तारीख तक उक्त से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित अधीक्षण अभियंता।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दी गई।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांकः– 14/वैक्क –1011/24–141 दिनांक– 18/2/26

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/वैक्क –1011/24–141 दिनांक– 18/2/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/वैक्क –1011/24–141 दिनांक– 18/2/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/2

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/वैक्क –1011/24–141 दिनांक– 18/2/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/2

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)